

संपरिवर्तन आदेश

सचिव, भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधुति से धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजन के लिए राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन (नियम, 1992) के नियम 8(2)(8)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1. आवेदक खातेदारी अभिधारी का नाम - भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर पिता/पति के नाम सहित पूरा पता:- सचिव, मूलचन्द रणवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी भुवाला जिला सीकर

2. क्या आवेदक अनु. जाति या अनु. जनजाति - नहीं का सदस्य है :-

3. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :-

(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - सालमसिंह की दाणी ग्राम पंचायत चन्दपुरा तहसील व जिला सीकर,

(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा ख. नं 303/164 रकबा 1.11 हेक्टेयर संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(ग) प्रत्येक खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. - ख. नं 303/164 रकबा 1.11 हेक्टेयर का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए में से 4000 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मी. में)

टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए रा. नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-

प्रति संलग्न है।
वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ.

5. संदेय प्रीमियम की दर :-	1.	200X 4=	800/-
	2.	1800X 8=	14400/-
	3.	2000X 16=	32000/-
			<hr/>
			47200/-

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित

जमा कराई गई प्रीमियम की रकम - चालान संख्या 1 दिनांक 18/5/2005 Rs 23600

चालान संख्या 2 दिनांक 18/5/2005 Rs 23600

कुल Rs 47200

7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो. की जमा कराई गई रकम

(2)

8. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम

9. क्या आदेश नियमितीकरण के नियम 12 के अधीन जारी किया गया है :

नहीं

10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :-

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पहृत हो जायेगा।

(3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।



(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1
राजस्थान सरकार

विशेष प्राधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांक:- 207-21

दिनांक:- 19.5.2005

प्रतिलिपि:-

(1) श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सीकर (राज.)

(2) तहसील राजस्व लेखाकार तहसील, सीकर (राज.)

(3) सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का

(4) सम्बन्धित श्री साहिब साहू सी.डी. का. रजि. डि. 100/100/100/100

रा. 100/100/100/100

राजस्थान सरकार

विशेष प्राधिकारी के हस्ताक्षर